संचालनालय मत्स्योद्योग
क्रमांक 565
दि 19.9.07
छत्तीसगढ़ रायपुर

(46)

छत्ती
कृषि (मछ ग
दाऊ कल
मंत्राल

क्रमांक / एफ–4–7 / 36 / योजना / 2006 रायपुर दिनांक सितंबर,2007

–: आदेश :–

आदेश कमांक एफ–11 / 2 / 36 / 2002 / 985–986 रायपुर दिनांक 24–3–2003 व्दारा प्रचलित मछली पालन नीति में राज्य शासन एतद् व्दारा निम्न संशोधन प्रतिस्थापित करता है ।

बिंदु कमांक 1.4 :–

200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय (2 विभागीय जलाशय कमशःघोंघा जलाशय,बिलासपुर एवं सरोदा सागर, कबीरधाम को छोड़कर) निर्धारित समयावधि के लिए पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति / समूहों को पट्टे पर दिया जाएगा , तथा 1000 से 5000 हेक्टेयर के जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को रायल्टी आधार पर प्रदाय किया जाएगा ।

बिंदु कमांक 2.5 :–

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाय.) अंतर्गत निर्मित तालाबों को स्व सहायता समूह को ही पट्टे पर दिया जाएगा ।

बिंदु कमांक 15 :–

प्रमुख सफर मछलियों के आखेट के समान ही मिन्नोज (छुद्रमीन)(सुखान) के आखेट / विकय की व्यवस्था रखी जावे ।

शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(प्रदीप कुमार दवे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछली पालन) विभाग

पृ. क्रमांक / एफ–4–7 / 36 / योजना / 2006/636 रायपुर दिनांक 18 सितंबर,2007

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।

4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ महिला एवं बाल विकास विभाग/ जल संसाधन/राजस्व विभाग/स्थानीय शासन /सहकारिता विभाग/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5. संचालक मत्स्योद्योग,छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं कियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
6. समस्त कलेक्टर, ————————————(छत्तीसगढ़ शासन)
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ——————छत्तीसगढ़ शासन ।
8. प्रबंध संचालक,छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ(मर्यादित) रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।

7/12/99

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछली पालन) विभाग